श्रीमती नीना विक्रम वर्मा

बनाम

बालमुकुंद सिंह गौतम एवं अन्य

(2013 की सिविल अपील संख्या 3840)

12 अप्रैल, 2013

{एच.एल. गोखले और मदन बी. लोकुर, जे.जे.}

चुनाव याचिका दोषारोपण याचिका- अपीलकर्ता द्वारा दायर- प्रत्यर्थी का आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी उच्च न्यायालय द्वारा दोषारोपण याचिका की अस्वीकृति के लिए की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप दोषारोपण याचिका खारिज हो गई, अपीलकर्ता ने आदेश को चुनौती दी- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित सहमति आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया, और दोषारोपण याचिका को बहाल कर दिया गया। चुनाव याचिका की फाइल इसके बाद प्रत्यर्थी नंबर 1 का आवेदन आदेश 6 नियम 16 सीपीसी दोषारोपण याचिका से कुछ अभिकथनों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर अनुमति दी गई कि ऐसी दलीलें अस्पष्ट, कष्टप्रद, गैर-विशिष्ट और बिना किसी भौतिक तथ्य के थीं- निर्णय- माना गयारू उचित नहीं- एक बार इसे स्वीकार कर लिया गया एक पक्ष द्वारा सहमति से कि एक विशेष याचिका (तत्काल मामले में आरोप

याचिका) पर आपत्ति को त्याग कर न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी है बाद में उसी पक्ष को इस आड़ में कार्यवाही के वाद कारण वाली दलीलों को हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि कार्यवाही के कारण वाली दलीलें अनावश्यक, कष्टप्रद या निंदनीय हैं- किसी भी न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह ऐसे किसी भी मामले को उठाने की अनुमति दे। एक बार संबंधित पक्ष द्वारा इसे त्याग दिए जाने के बाद इसे बचाव या हमले का आधार बनाया जाना चाहिए था- उच्च न्यायालय को किसी भी मुकदमे के इस बुनियादी सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए था- वह आदेश 6 नियम 16 के आवेदन पर विचार नहीं कर सकता था। जब सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए सहमति आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की फ़ाइल में दोषारोपण याचिका को बहाल कर दिया था- उच्च न्यायालय अब निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा एक दोषारोपण याचिका शीघ्रता से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 6 नियम 16 और आदेश 7 नियम 11- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951- धारा 97- चुनाव संचालन नियम, 1961- त.63।

चुनाव याचिका- सत्यापन- दोष- निष्कासन- आयोजितरू चुनाव याचिका के मामले में सत्यापन में दोष सीपीसी के सिद्धांतों के अनुसार दूर किया जा सकता है, और यह चुनाव याचिका के लिए घातक नहीं है।

मध्य प्रदेश सी विधान सभा के आम चुनावों में, अपीलकर्ता को प्रथम प्रत्यर्थी को एक वोट से हराकर निर्वाचित घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी नंबर 1 ने प्रावधानों के तहत वोटों को अनुचित तरीके से स्वीकार करने, अस्वीकार करने और अस्वीकार करने के आधार पर अपीलकर्ता के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की। डी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। यह मुख्य रूप से इस आधार पर था कि अपीलकर्ता के लाभ के लिए डाक मतपत्र की गिनती चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 63 का उल्लंघन करके की गई थी। अपीलकर्ता ने बदले में आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 97 के तहत एक दोषारोपण याचिका दायर की, जिसमें मुख्य रूप से दो आधार उठाए गए (ए) पैराग्राफ 3 में कि पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ कई आपैराधिक मामले लंबित थे जिनका उसने खुलासा नहीं किया था, और (बी)) पैराग्राफ 4 में कि पहला प्रत्यर्थी विभिन्न भ्रष्ट आचरणों में लिप्त थे। इसके बाद प्रत्यर्थी नंबर 1 ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस आधार पर दोषारोपण याचिका को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि इसमें कार्यवाही का कोई कारण नहीं बताया गया है। यह आरोप-प्रत्यारोप याचिका के गुण-दोष के आधार पर जवाब दाखिल करने के अलावा था। कोर्ट ने उक्त आवेदन को अनुमति दे दी, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई दोषारोपण याचिका खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता ने इस आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित एक सहमति

आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया, और दोषारोपण याचिका को चुनाव याचिका की फ़ाइल में बहाल कर दिया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द कर दिया और आरोप-प्रत्यारोप याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता ने आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 116 ए के तहत चुनाव याचिका में आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष एक वैधानिक अपील दायर की। इस बीच, प्रत्यर्थी नंबर 1 ने पैराग्राफ में दलीलों को हटाने के लिए आदेश 6 नियम 16 के तहत एक आवेदन दायर किया। दोषारोपण याचिका के 3 और 4। इस आवेदन को आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दी गई जिसके कारण वर्तमान अपील हुई।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया:

1. हमने दोनों वकीलों की दलीलों पर मनन किया। आदेश 7 नियम 11 के तहत न्यायालय के समक्ष आवेदन में न्यायालय को किसी वाद या याचिका में यह देखना होता है कि उसमें कार्यवाही हेतु वाद कारण है अथवा नहीं। जब एक दफा किसी पक्षकार के द्वारा इस संबंध में किसी याचिका (हस्तगत प्रकरण में आरोप प्रत्यारोप याचिका) सहमति दी जा चुकी है कि उस याचिका को सुना जाना चाहिए तब वह पक्षकार बाद में याचिका के संबंध में जिन अभिवचनों से कार्यवाही हेतु वाद कारण की जानकारी पर्याप्त होती है, को अनावश्यक, निन्दनीय या परेशान करने वाली के आधार पर हटाने हेतु आवेदन नहीं कर सकता है। है पक्षकार से यह

अपेक्षित रहता है कि वह प्रकरण के संबंध में समस्त दलीलें न्यायालय के समक्ष एक ही समय में पेश करें। संबंधित पक्षकार से यह अपेक्षित था कि जिस समय न्यायालय द्वारा सहमति आदेश पारित किया गया उस समय वह याचिका के संबंध में अभिवचनों का अनावश्यक कष्टप्रद या निन्दनीय होना जाहिर करता है या न्यायालय से उसे भविष्य में जाहिर करने की अनुमति लेता। किसी भी न्यायालय से यह अपेक्षित नहीं है कि कोई तथ्य जो की पूर्व में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता था उसे बाद में पक्षकार द्वारा प्रतिरक्षा या हमले के रूप में प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है, विशेषतः तब जबकि उस पक्षकार द्वारा पूर्व में उस तथ्य को पेश करने का अधिकार त्याग दिया गया हो। विद्वान एकल न्यायाधीश को मुकदमों के इस मूल सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिए था। (पैराग्राफ 28)

इसके अलावा, जब हम आदेश 6 नियम 16 के तहत वर्तमान मामले में उठाई गई आपत्तियों को देखते हैं, तो यह आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 83 की आवश्यकता पर आधारित है कि आवेदक को अदालत के समक्ष भौतिक तथ्य रखने की आवश्यकता होती है। अदालत। जहां तक आपैराधिकता के आरोप का सवाल है, हमारे विचार में दोषारोपण याचिका के साथ पर्याप्त भौतिक तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए थे। इसके बाद, तथ्यों को स्वीकार करने के लिए एक नोटिस दिया गया, जिसमें विशिष्ट मामलों का विवरण दिया गया था, जिसमें उन आरोपों के लिए आरोप पत्र दायर किए गए थे, जिनके परिणामस्वरूप आरपी अधिनियम 1951 की धारा 33 ए के

अनुसार 2 साल या उससे अधिक की कैद हो सकती थी। प्रत्यर्थी ने इस नोटिस का उत्तर न देने का निर्णय लिया। वास्तव में इस संबंध में विद्वान न्यायाधीश को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे। जहां तक भ्रष्ट आचरण के आधार का सवाल है, जैसा कि ऊपर उद्धृत अभिवचनों से देखा जा सकता है, उस पहलू पर भी भौतिक तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए थे जैसा कि श्री रंजीत कुमार ने सही ढंग से बताया है। (पैराग्राफ 29)

इस न्यायालय द्वारा बार बार यह कथन किया जा रहा है कि सत्यापन की कमी को सीपीसी में प्रदत्त नियमों के अनुसार बाद में भी दूर किया जा सकता है तथा मात्र इस आधार पर चुनाव याचिका को खारिज नहीं किया जा ना चाहिए। (पैराग्राफ 30)

ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, सीपीसी के आदेश 6 नियम 16 के तहत पहले प्रत्यर्थी के आवेदन को अनुमति देने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर और कानून की दृष्टि से खराब था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश आदेश 6 नियम 16 के तहत आवेदन पर विचार नहीं कर सकते थे जब इस न्यायालय ने शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए सहमति से दोषारोपण याचिका को उस न्यायालय की फ़ाइल में बहाल कर दिया था। विद्वान न्यायाधीश ने यह मानने में गलती की है कि दोषारोपण याचिका के पैराग्राफ 3 और 4 में

दलीलें अस्पष्ट, कष्टप्रद, गैर-विशिष्ट और बिना किसी भौतिक तथ्य के थीं। इसलिए अपील स्वीकार की जाती है। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश अब याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई दोषारोपण याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। पक्षकार मुकदमेबाजी का अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। (पैराग्राफ 31)

के.के. मोदी बनाम के.एन. व अन्य 1998(3) एससीसी 573 1998 (1) एससीआर 604, एचडी रेवन्ना बनाम जी. पुट्टा स्वामी गोवडा व अन्य 1999(2) एससीसी 217, 1999(1) एससीआर 198 व पोनाला नीना विक्रम वर्मा बनाम बालमुकुन्द गौतम सिंह 849 गौतम लक्ष्मेह बनाम कौमुरी प्रताप रेड्डी व अन्य 2012(7) एससीसी 788, 2012 (6) एससीआर 851- अवलम्ब लिया गया। मुरारका राधेश्याम रामकुमार बनाम रूपसिंह राठौर व अन्य एआईआर 1964 एससी 1545, 1964 एससीआर 573-अनुसरणीय पीए मोहम्मद रियाज बनाम एमके राघवन व अन्य 2012(5) एसीसी 511, 2012(4) एससीआर 56- रैफर्ड टू सोपान सुखदेवो साबले व अन्य बनाम सहायक दान आयुक्त व अन्य 2004(3) एससीसी 137, 2004 (1) एससीआर 1004, ज्योतिबसु व अन्य बनाम देबी घोसाल व अन्य 1982 (1) एससीसी 691, 1982 (3) एससीआर 318 मंगनानी लाल मण्डल बनाम विष्णु देव भण्डारी 2012(3) एससीसी 314, 2012 (1) एससीआर 527 व अजर हुसैन बनाम राजीव गांधी एआईआर 1986 एससी 1253, 1986 एससीआर 782- साईटेड

न्यायिक दृष्टांत

2004 (1) एससीआर 1004 उद्धृत पैरा 14

1982 (3) एस सी आर 318 उद्धृत पैरां 16 ए 24

2012 (1) एससीआर 527 उद्धृत पैरां 18

2012 (4) एससीआर 56 संदर्भित पैरां 19, 26, 30

1986 एससीआर 782 उद्धृत पैरां 20 ए 24

1998 (1) एससीआर 601 भरोसा किया पैरां 27, 28

1964 एससीआर 573 अनुसरण किया पैरां 30

1999 (1) एससीआर 198 भरोसा किया पैरां 30

2012 (6)एससीआर 851 भरोसा किया पैरां 30

दीवानी अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील क्रमांक 3840/2013

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश केआईए नम्बर 7248/2012 चुनाव याचिका संख्या 11/2009 के संबंध में एकल पीठ इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2012 से।

रणजीत कुमार, पिंकी आनन्द, नवीन प्रकाश, संजीव नसाया, आशीष जी पैरार्वेदी, नताशा शरावत, सुब्रम्हन्यम अपीलार्थी की ओर से।

पीपी राव, अरविन्द वी सावन्त, वरूण के चौपडा, राहुल कौशिक, बीके सतीजा, एसएस खन्डूजा, यशपाल डिंगरा, मिश्रा सौरभ प्रत्यर्थीगण की ओर से।

यह निर्णय एचएल गोखले न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया। अनुमति प्रदान की गई।

2. इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ (इन्दौर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2012 जहां कि न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पेश किये गये पैरार्थना पत्र आदेश 6 नियम 16 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) आईए संख्या 7482/2012 के अन्तर्गत दोषारोपण याचिका में से कुछ अभिवचनों को हटाने हेतु आदेश दिया गया था, को चुनौती दी गयी है।

याचिका के संबंध में कुछ तथ्यः-

3. मध्य प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा 14.10.2008 को अधिसूचित किये गये थे और 27.11.2008 को आयोजित किये गये थे। अपीलकर्ता ने 201-धार (सामान्य) विद्युत क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्हें 9.12.2008 को प्रथम प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक वोट से विजित घोषित कर दिया गया था।

4. प्रत्यर्थी नंबर 1 ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर की खंडपीठ) के समक्ष 2009 की संख्या 11 की चुनाव याचिका दायर की

जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम, 1951) प्रावधानों के तहत वोटों के अनुचित ग्रहण, खण्डन और अस्वीकृति के आधार पर अपीलकर्ता के चुनाव को चुनौती दी गई थी। यह मुख्य रूप से इस आधार पर था कि अपीलकर्ता के लाभ के लिए डाक मतपत्र की गिनती चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 63 का उल्लंघन करके की गई थी।

5. अपीलकर्ता ने इसके लिए दिए गए समय के भीतर आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 97 के तहत एक दोषारोपण याचिका दायर की, जिसमें मुख्य रूप से दो आधार उठाए गएरू

(ए) दोषारोपण याचिका के पैराग्राफ 3 में दावा किया गया कि पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ कई आपैराधिक मामले लंबित थे जिनका उसने खुलासा नहीं किया था, और इसलिए उसका नामांकन शून्य था और उसे निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता है,

(बी) उसके पैराग्राफ 4 में तर्क दिया गया कि पहला प्रत्यर्थी विभिन्न भ्रष्ट आचरण में लिप्त था।

6. इसके बाद प्रत्यर्थी नंबर 1 ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत (2009 के आईए नंबर 8166) के तहत इस आधार पर आरोप याचिका को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि इसमें कार्यवाही का कोई वाद कारण नहीं बताया गया है। यह आवेदन आरोप-

प्रत्यारोप याचिका के गुण-दोष के आधार पर जवाब दाखिल करने के अलावा था। अपीलकर्ता ने अपना जवाब दाखिल कर आईए संख्या 8166/2009 का विरोध किया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.7.2011 द्वारा उक्त आवेदन को अनुमति दे दी, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा दायर दोषारोपण याचिका खारिज कर दी गई।

7. अपीलकर्ता ने 2011 की एसएलपी (सी) संख्या 28031 दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी, जिसे 2012 की सिविल अपील संख्या 1554 में परिवर्तित कर दिया गया। उस अपील पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2.2.2012 को पारित एक सहमति आदेश दिनांकित 14.07.2011 के माध्यम से रद्द कर दिया गया और दोषारोपण याचिका को 2009 की चुनाव याचिका संख्या 11 की फ़ाइल में बहाल कर दिया गया।

8. इसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा 2009 की चुनाव याचिका संख्या 11 को स्वीकार कर याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द कर दिया तथा उच्च न्यायालय ने दोषारोपण याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिये।

9. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि अपीलकर्ता ने आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 116 ए के तहत 2009 की चुनाव याचिका संख्या 11 में फैसले और आदेश के खिलाफ वैधानिक अपील दायर की है, जिसे इस न्यायालय ने 8.11.2012 को स्वीकार कर लिया है। दिनांक

08.11.2012 में पारित एक अंतरिम आदेश के आधार पर, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को विधानसभा में भाग लेने की अनुमति दी है, लेकिन वोट देने और कोई परिलब्धियां पर्याप्त करने के अधिकार नहीं दिया है।

10. इस बीच, प्रत्यर्थी नंबर 1 ने आदेश 6 नियम 16 के तहत 1.11.2012 को (2012 के आईए नंबर 7248) के रूप में एक और आवेदन दायर किया, ताकि आरोप याचिका के पैराग्राफ 3 और 4 में अभिवचनों को हटाया जा सके। अपीलकर्ता ने जवाब दाखिल कर इस आवेदन का विरोध किया। इस आवेदन को आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दी गई है जिसके कारण वर्तमान सिविल अपील हुई है।

11. हम एक और विकास का उल्लेख कर सकते हैं। अपीलकर्ता ने अपनी दोषारोपण याचिका में कुछ भौतिक तथ्यों को शामिल करने के लिए आदेश 6 नियम 17 के तहत एक आवेदन दायर किया है। इसे उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2012 द्वारा खारिज कर दिया है, और अपीलकर्ता ने उस आदेश के खिलाफ एक अलग एसएलपी दायर की है।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियां-

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार और सुश्री पिंकी आनंद ने हमें प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर आदेश 6 नियम 16 के तहत आवेदन के बारे में बताया, और इसकी तुलना आदेश 7 नियम

के तहत उनके द्वारा दायर पहले के आवेदन से की। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि आदेश 6 नियम 16 के तहत वर्तमान आवेदन की सामग्री आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर पहले के आवेदन के समान थी। पूर्व में किये गये आवेदन के पैराग्राफ संख्या 1 से 9 नवीन आवेदन के पैराग्राफ 8 (डी), 8 (ई), 8 (एफ), 8 (एच), 8 (आई), 8 (जे), 8 (के), 8 (एल) और 8 (एम) के समान थे। दो आवेदनों के ये पैराग्राफ विशेष रूप से दोषारोपण याचिका के पैराग्राफ 3 (ए) से 3 (जी) और पैराग्राफ 4 (ए) से 4 (डी) से संबंधित हैं। इस प्रकार, यदि आदेश 6 नियम 16 के तहत इस आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो दोषारोपण याचिका के पैराग्राफ 3 और 4 से सभी दलीलें हटा दी जाएंगी। इन पैराओं में दोषारोपण याचिका के मुख्य आधार शामिल थे, और यदि इन्हें हटा दिया गया तो दोषारोपण याचिका में कुछ भी नहीं बचेगा। श्री रंजीत कुमार ने प्रस्तुत किया कि यह नया आवेदन और कुछ नहीं बल्कि आदेश 7 नियम 11 के तहत पहले के आवेदन को एक नई आड़ में फिर से पेश करने का प्रयास है जिसे खारिज कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर उच्च न्यायालय के आरोप-प्रत्यारोप याचिका को खारिज करने के आदेश को इस न्यायालय ने सहमति से रद्द कर दिया था, और आरोप-प्रत्यारोप याचिका को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 2.2.2012 के पैराग्राफ 3 और 4 इस प्रकार से हैं:

3. सुनवाई के दौरान हुई चर्चा के आलोक में, पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील निम्नलिखित आदेश के लिए सहमत हुए।

(i) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 14 जुलाई 2011 का आदेश रद्द किया जाता है।

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 97 के तहत वर्तमान अपीलकर्ता (लौटे हुए उम्मीदवार) द्वारा दायर दोषारोपण याचिका को 2009 की चुनाव याचिका संख्या 11 की फ़ाइल में बहाल किया जाता है।

(iii) उच्च न्यायालय से चुनाव याचिका संख्या 11/2009-बालमुकुंद सिंह गौतम बनाम में निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती के संबंध में सुनवाई करने और सुनवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। श्रीमती नीना विक्रम वर्मा और अन्य- जितनी जल्दी संभव हो सके और किसी भी स्थिति में 31 मई, 2012 से पहले नहीं।

(iv) यदि उच्च न्यायालय निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित कर देता है, तो उच्च न्यायालय दोषारोपण याचिका पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा और 31 अगस्त, 2012 तक उसके संबंध में शीघ्र और सकारात्मक रूप से जांच समाप्त करेगा।

4. पक्ष मुकदमे के शीघ्र समापन में उच्च न्यायालय के साथ पैरा सहयोग करेंगे और अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेंगे।

13. इसलिए, श्री रंजीत कुमार ने प्रस्तुत किया कि चूंकि इस न्यायालय के एक आदेश द्वारा दोषारोपण याचिका को फ़ाइल में बहाल कर दिया गया है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि उसमें प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। इस माननीय न्यायालय ने पार्टियों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में 2.2.2012 को अपना आदेश पारित किया था। आदेश 6 नियम 16 के तहत आवेदन 1.11.2012 को दायर किया गया था, जो कि उक्त सहमति आदेश के 9 महीने बाद था। यह इस न्यायालय द्वारा दोषारोपण याचिका को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश के तहत भी था, और वास्तव में सभी पक्ष इस न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से शीघ्र निपटान में उच्च न्यायालय के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए सहमत हुए थे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुतियाँ-

14. श्री पीपी राव और श्री एवी सावंत, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए उपस्थित हुए। श्री राव ने प्रस्तुत किया कि आदेश 6 नियम 16 के तहत एक आवेदन की प्रकृति आदेश 7 नियम 11 के तहत एक से अलग थी। आदेश 6 नियम 16 उन अभिवचनों को ख़त्म करना था जो अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ या कष्टप्रद थीं। इसके विपरीत, आदेश 7 नियम 11 ऐसी स्थिति से निपटता है जहां एक वादी ने कार्यवाही के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया है। श्री राव ने प्रस्तुत किया कि उच्चैराम

न्यायालय के दिनांक 2.2.2012 के आदेश ने अनावश्यक या निंदनीय अभिवचनों को हटाने के लिए आदेश 6 नियम 16 सीपीसी के तहत आवेदन दाखिल करने पर रोक नहीं लगाई है। दोनों प्रावधानों का दायरा अलग-अलग था, अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने सोपान सुखदेव साबले बनाम सहायक चौरिटी आयुक्त और अन्य। 2004 में रिपोर्ट की गई (3) एससीसी 137 पर अवलम्ब लिया जहां कि इस बिन्दु पर इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया गया हैः-

> "18. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आदेश 7 नियम 11 वादी के किसी विशेष भाग की अस्वीकृति को उचित नहीं ठहराता है। संहिता का आदेश 6 नियम 16 इस संबंध में पैरासंगिक है। यह ष्विनती को समाप्त करनेष् से संबंधित है। इसमें तीन खंड हैं जो अदालत को कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी दलील में किसी भी मामले को खारिज करने या संशोधित करने की अनुमति देते हैं यानी (ए) जो अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ या परेशान करने वाला हो सकता है, या, (बी) जो पूर्वाग्रह, शर्मिंदा करने वाला हो सकता है या मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई में देरी करें, या, (सी) जो अन्यथा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"

15. दोषारोपण याचिका का पैराग्राफ 3 प्रत्यर्थी नंबर 1 की ओर से कथित आपैराधिक गतिविधियों से संबंधित था। अपीलकर्ता ने इस अनुच्छेद में तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी नंबर 1 ने यह खुलासा नहीं किया था कि उस पर विभिन्न अपैराधों का आरोप लगाया गया था, और यह गैर-प्रकटीकरण आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 33 ए के तहत आवश्यकता के विपरीत था। अतः अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि यदि प्रत्यर्थी नंबर 1 को चुना जाना था, तो चुनाव शून्य हो जाता। हालाँकि, श्री राव ने बताया कि इस धारा में उम्मीदवार को यह जानकारी देने की आवश्यकता होती है कि क्या वह किसी ऐसे अपैराध का आरोपी है जो किसी लंबित मामले में दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, और जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए विवरण से यह नहीं पता चला कि उनमें से किसी भी मामले में प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई आरोप विरचित किये गये थे।

16. आपैराधिकता के आरोपों के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि केवल आपैराधिकता के सामान्य आरोपों के आधार पर चुनाव याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, जब तक कि धारा 33ए के अनुसार कोई विशिष्ट मामला न पाया गया हो। उनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ज्योति बसु ओर अन्य बनाम देबी घोषाल और अन्य। 1982 में रिपोर्ट की गई (1) एससीसी 691 पर अवलम्ब लिया गया जिसके पैराग्राफ संख्या 8 में निम्न कथन किये गये है:

"8. चुनाव का अधिकार, हालांकि यह लोकतंत्र के लिए मौलिक है, लेकिन असामान्य रूप से पर्याप्त है, न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानून का अधिकार है। यह शुद्ध एवं सरल है, वैधानिक अधिकार है। निर्वाचित होने का अधिकार भी वैसा ही है। चुनाव पर विवाद करने का अधिकार भी ऐसा ही है। क़ानून के बाहै, चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं है, चुने जाने का कोई अधिकार नहीं है और चुनाव पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है। वे वैधानिक रचनाएँ हैं, और इसलिए, वैधानिक सीमा के अधीन हैं। चुनाव याचिका सामान्य कानून या समानता में कोई कार्यवाही नहीं है। यह एक वैधानिक कार्यवाही है जिसमें न तो सामान्य कानून और न ही समानता के सिद्धांत लागू होते हैं, बल्कि केवल वे नियम लागू होते हैं जो क़ानून बनाता है और लागू होता है। यह एक विशेष क्षेत्राधिकार है, और एक विशेष क्षेत्राधिकार का प्रयोग हमेशा इसे बनाने वाले क़ानून के अनुसार किया जाना चाहिए। सामान्य कानून और समानता से परिचित अवधारणाएं चुनाव कानून के लिए अजनबी बनी रहनी चाहिए जब तक कि वैधानिक रूप से लागू न हो जाएं। किसी अदालत को कथित नीति पर विचार करने के लिए उनका सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं है

क्योंकि चुनाव विवादों की सुनवाई से संबंधित ऐसे मामलों में नीति वही है जो क़ानून निर्धारित करता है......"

17. दोषारोपण याचिका के पैराग्राफ 4 (और उसके उप-पैराग्राफ) के संबंध में, श्री राव ने प्रस्तुत किया कि यह पैराग्राफ प्रत्यर्थी नंबर 1 की ओर से कथित भ्रष्ट आचरण से संबंधित था। भ्रष्ट आचरण आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (डी) (पप) के तहत चुनाव को रद्द करने के लिए उपलब्ध आधार है। दोषारोपण याचिका एक चुनाव याचिका की तरह है, और धारा 83 (1) (सी) आरपी अधिनियम, 1951 के लिए आवश्यक है कि चुनाव याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं और अभिवचनों के सत्यापन के लिए सीपीसी में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाए। इसके अलावा, धारा 83 (1) (सी) के प्रावधान में कहा गया है कि जहां याचिकाकर्ता किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है, तो याचिका के साथ ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोप के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में एक हलफनामा संलग्न करना होगा और उसका विवरण भी देना होगा। यह हलफनामा फॉर्म 25 के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 94ए में निर्धारित है। श्री राव ने बताया कि वर्तमान मामले में हलफनामा इन आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बनाया गया था। उन्होंने आगे बताया कि यह अनुरोध विशेष रूप से प्रत्यर्थी नंबर 1 के हलफनामे में उठाया गया था, और याचिकाकर्ता द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया था।

18. साथ ही यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 100 (1) के तहत भ्रष्ट आचरण के आधार पर यह घोषणा करने की मांग की गई कि चुनाव शून्य है। अधिनियम की धारा 100 (1) (डी)(पप) के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला बनाना आवश्यक था कि चुनाव का परिणाम, जहां तक यह एक निर्वाचित उम्मीदवार की बात है, निर्वाचित उम्मीदार के भ्रष्ट आचरण से भौतिक रूप से निर्वाचन प्रभावित हुआ था। मौजूदा मामले में ऐसा नहीं दिखाया गया है। उनके द्वारा इस न्यायालय के निर्णय मंगनी लाल मंडल बनाम बिष्णु देव भंडारी ने 2012 में रिपोर्ट (3) एससीसी 314 के पैराग्राफ 11 पर अवलम्ब लिया जो कि धारा 100 (1) (डी) के उप-खंड (i) के संबंध में निम्न मार्गदर्शन देता हैः-

11. वैधानिक प्रावधानों का मात्र गैर- अनुपालन या उल्लंघन, धारा 100(1)(डी)(पअ) के तहत किसी निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य नहीं करता है। धारा 100(1)(डी) के खंड (पअ) के तहत एक निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने की अनिवार्य शर्त इस तथ्य का प्रमाण है कि इस तरह के उल्लंघन या गैर-पालन के परिणामस्वरूप भौतिक रूप से लौटे हुए उम्मीदवार का परिणाम एवं चुनाव प्रभावित हुआ है। दूसरे शब्दों में 1951 अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के प्रावधानोंं का उल्लंघन या उल्लंघन या गैर-पालन या गैर-अनुपालन, अपने आप में, निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को

रद्द नहीं करता है धारा 100 (1)(डी)(पअ) चुनाव याचिकाकर्ता के लिए ऐसे आधार पर सफल होना। धारा 100(1)(डी)(पअ) के तहत, चुनाव याचिकाकर्ता न केवल दलील देनी होगी और आधार साबित करना होगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि जहां तक बात चुनाव के परिणाम की है, तो निर्वाचित उम्मीदवार पर भौतिक रूप से असर पड़ा है। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे इस न्यायालय के तीन निर्णयों से समर्थन मिलता है (1) जबर सिंह बनाम गेंदा लाल एआईआर 1964 एससी 1200,; (2) एलआर शिवरामगौड़ा बनाम टीएम चन्द्रशेखर 1999 (1) एससीसी 666, और (3) उमा बल्लव रथ बनाम महेश्वर मोहंती 1999 (3) एससीसी 357।

19. उनके द्वारा यह भी प्रस्तावित किया गया है कि याचिका या दोषारोपण याचिका का सत्यापन निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए अन्यथा मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में उनके द्वारा इस न्यायालय की दो न्यायधीशों की पीठ के फैसले पीए मोहम्मद रियास बनाम एमके राघवन और अन्य। 2012 (5) एससीसी 511 के पैराग्राफ 47 पर अवलम्ब लिया है जो कि इस प्रकार है -

> "47. हमारे विचार में, श्री पीपी राव द्वारा उठाई गई आपत्तियां सफल होनी चाहिए, क्योंकि धारा 83 में विचार किए गए उचित सत्यापन के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्यवाही का कारण पैरा हो गया था। 1951

अधिनियम की धारा 86 के परिणाम उप-धारा (1) के मद्देनजर तुरंत लागू होते हैं जो चुनाव याचिकाओं के परीक्षण से संबंधित है और प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय उस चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो 1951 अधिनियम की 82 या धारा 117 या धारा 81 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करता है। हालाँकि धारा 86 की उपधारा (1) में धारा 83 का उल्लेख नहीं किया गया है, उचित सत्यापन के अभाव में, यह माना जाना चाहिए कि धारा 81 के प्रावधान भी पूरे नहीं हुए थे और चुनाव याचिका के लिए कार्यवाही का कारण अधूरा बना हुआ है। उपस्थित याचिकाकर्ता के पास दोष को ठीक करने का अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया।"

20. अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, इस तर्क के संबंध में है कि इन आपत्तियों पर निर्णय परीक्षण के अंत तक इंतजार किया जा सकता है। इस संबंध में अज़है हुसैन बनाम राजीव गांधी 1986 के 1253 में पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ सुसंगत है जो कि इस प्रकार है-

“12. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अगला तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत चुनाव याचिका को सरसरी तौर पर खारिज करने की

शक्तियों का प्रयोग प्रकरण के पैरारम्भ में नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में, तर्क यह है कि अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, साक्ष्य दर्ज करना चाहिए, और चुनाव याचिका का परीक्षण समाप्त होने के बाद ही दोषपूर्ण याचिका को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का उपयोग कर चुनाव याचिका को निस्तारित किया जाना चाहिए। वद्वान वकील के संबंध में, यह एक ऐसा तर्क है जिसे समझना कठिन है। ऐसी शक्तियां प्रदान करने का पैरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमा जो अर्थहीन है और निष्फल साबित होने के लिए बाध्य है, उसे अदालत के समय को व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। डैमोकल्स की तलवार को बिना मतलब या उद्देश्य के अनावश्यक रूप से उसके सिर पर लटकाए रखने की जरूरत नहीं है।................"

याचिकाकर्ता की ओर से प्रत्युत्तर-

21. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने प्रत्युत्तर में बताया कि आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 83(1) के लिए आवश्यक है कि चुनाव याचिका (और उस मामले के लिए दोषारोपण याचिका) में एक संक्षिप्त विवरण जो की भौतिक एवं विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित होगा। मौजूदा

मामले में आरोप-प्रत्यारोप याचिका में उठाए गए आधार दोतरफा थे। सबसे पहले, प्रत्यर्थी की आपैराधिकता, और दूसरे, भ्रष्ट आचरण जिसमें प्रत्यर्थी शामिल था। जहां तक आपराधिकता के पहलू का सवाल है, यह बताया गया था कि आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 97 के प्रावधानों के तहत मुकदमा शुरू होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर दोषारोपण याचिका दायर की जानी आवश्यक है। फिर भी, उस अवधि के भीतर याचिकाकर्ता ने दोषारोपण याचिका के पैराग्राफ 3 में महत्वपूर्ण तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखा है। इसके पैराग्राफ 3(बी) में प्रत्यर्थी के खिलाफ दर्ज आपैराधिक मामलों का विवरण एक तालिका में दिया गया था। तालिका में निम्नलिखित विवरण है-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | -सिंह गौतम एक अन्य आरोपी के साथ | |
| 8 | पीठमपुर/106 /24-3-96 | 34 आबकारी एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम दो अन्य आरोपी के साथ | 104/29-4-96 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | सदलपुर/321 2-3-96 | 34, 36 आबकारी एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | 92127-6-96 |
| 10 | बाड्नवर/258 /21-8-96 एक्ट | 34, 49 आबकारी गौतम | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह | 282131-10-96 |
| 11 | बाड्नवर/259 /21-8-96 | 34, 49 आबकारी एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | 283/31-10-96 |
| 12 | इंदौर पुलिस केस नंबर 1241/01 | 34(1)(2) आबकारी एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | 2001 |
| 13 | सदलपुर/122 12-8-1985 | 379 आईपीसी 247(7) लैंड रेवेन्यू एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | 118/1-10-1986 |
| 14 | सदलपुर/199 /13-10-86 | 147,148, 452, 506 आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम सात अन्य आरोपी के साथ | 124/26-10-1986 |

22. पैराग्राफ 3 (ई) में, यह रिकॉर्ड पर रखा गया था कि प्रत्यर्थी को सीजेएम धार द्वारा एक आपैराधिक मामले संख्या 968/96 में आपैराधिक

कार्यवाही में भगोड़ा व्यक्ति घोषित किया गया था। पैराग्राफ 3(एफ) में बताया गया कि याचिकाकर्ता का नाम वर्ष 2004 में सूचीबद्ध गुंडा के रूप में दर्ज किया गया था, और एसपी धार द्वारा पुलिस स्टेशन पीथमपुर को इस संबंध में जारी पत्र दिनांक 12.1.2004 संलग्न किया गया था। आगे बताया गया कि 22.11.2012 को, याचिकाकर्ता ने तथ्यों को स्वीकार करने के लिए सीपीसी के आदेश 12 नियम 4 के तहत प्रत्यर्थी को नोटिस दिया था। उक्त नोटिस में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उसके विरुद्ध निम्नलिखित आपैराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें आरोप तय किये गये हैं तथा 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान है। यह तालिका इस प्रकार हैः-

| एस एल सं | क्राइम सं | सेक्शन | आरोपियों के नाम | पुलिस स्टेशन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76/22.5.85 | 147, 148, 149, 323, 451, आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | सादलपुर |
| 2 | 359/29.9.89 | 341,394, 323 आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पीथमपुर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 129/23.5.90 | 293, 323, 506 आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पीथमपुर |
| 4 | 109/24.3.96 | 34 आबकारी एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पीथमपुर |
| 5 | 406/24.12.97 | 307, 147, 148, आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पीथमपुर |
| 6 | 70/12.3.2001 | 365,34 आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पीथमपुर |
| 7 | 27/29.1.07 | 341, 147 आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पीथमपुर |
| 8 | 106/24.3.96 | 34 आबकारी एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पीथमपुर |
| 9 | 32/2.3.96 | 34, 36 आबकारी एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | सादलपुर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 258/21.8.96 | 34, 49 आबकारी एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | बडनावार |
| 11 | 259/21.8.96 | 34, 49 आबकारी एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | बडनावार |
| 12 | इंदौर क्रिमिनल केस सं 1241/01 | 31(1)(2) आबकारी एक्ट | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | इंदौर पुलिस स्टेशन |
| 13 | 35817.10.05 | 294, 323, 506 आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पीथमपुर |
| 14 | 122/2.8.85 | 379 आईपीसी और 247(7) एमपीएलआर कोड | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | सादलपुर |
| 15 | 199/13.10.86 | 147, 148, 452, 506 आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | सादलपुर |
| 16 | 358/7.10.05 | 294, 323, 506 आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पीथमपुर |
| 17 | 38/03/ | आबकारी | बालमुकुंद पुत्र | धनपुर, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | एक्ट गुजरात | रामदेव सिंह गौतम<br>निकाला हुआ घोषित | गुजरात |
| 18 | 358/7.10.05 | 294, 323, 506,आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पीथमपुर |
| 19 | 38/03/ | आबकारी एक्ट गुजरात | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम<br>निकाला हुआ घोषित | धनपुर, गुजरात |
| 20 | 239/03 | 19, 1/54, 19/54-65, 19/54(a) आबकारी एक्ट राजस्थान | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम<br>निकाला हुआ घोषित | भीलवाडा, राजस्थान |
| 21 | 19/10 | 420, 181, 200 ऑफ आईपीसी | बालमुकुंद पुत्र रामदेव सिंह गौतम | पुलिस राओजी बाजार इंदौर |

23. साथ ही यह भी बताया गया कि 23.11.2013 को प्रत्यर्थी ने तथ्यों को स्वीकार करने के लिए इस नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष समय मांगा। 4.12.2013 को,

विद्वान न्यायाधीश ने यह दर्ज किया कि भले ही प्रत्यर्थी ने 23.11.2012 को कहा था कि वह उत्तर दाखिल करना चाहता है, अब उसने सीपीसी के आदेश 6 नियम 16 के तहत आवेदन के नतीजे की प्रतीक्षा करने का फैसला किया है एवं इसे बाद यदि आवश्यक हुआ तब वह जवाब पेश करेगा श्री रंजीत कुमार ने बताया कि इस तरह के उत्तर का मतलब यह माना जा सकता है कि सीपीसी के आदेश 12 नियम 2-ए के प्रावधान के मद्देनजर प्रत्यर्थी द्वारा दस्तावेजों को स्वीकृत किया गया है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय यह नहीं मान सकता था कि याचिकाकर्ता ने आपैराधिकता के आरोपों के समर्थन में विवरण नहीं दिया था, जैसा कि आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 33 ए के लिए आवश्यक था।

24. श्री राव के तर्क का दूसरा पहलू यह था कि भ्रष्ट आचरण का आधार उठाने के लिए, आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 83 (1) (बी) के तहत भ्रष्ट आचरण का पैरा विवरण देना आवश्यक है। श्री रंजीत कुमार ने बताया कि धारा 83 (1) (बी) के तहत किसी भी भ्रष्ट आचरण का पैरा विवरण देना आवश्यक है, जिसमें ऐसे भ्रष्ट आचरण करने वाले कथित पक्षों के नाम और तारीख का यथासंभव पैरा विवरण, प्रत्येक घटना का स्थान शामिल है। इसलिए यह बताया गया कि दोषारोपण याचिका के पैराग्राफ 4 (ए) में यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि 11.11.2008 को, प्रत्यर्थी के कहने पर उनके छोटे भाई राकेश सिंह ने बसपा के उम्मीदवार

श्री जीपी साकेत को धमकी दी थी कि यदि उनका नामांकन फॉर्म वापस नहीं लिया गया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आगे बताया गया कि इसी प्रकार की धमकी उक्त उम्मीदवार के चुनाव एजेंट श्री मुन्नालाल दीवान को भी दी गई थी। पुलिस थाना पीतमपुर को दिनांक 11.11.2008 को भेजा गया था एक पत्र भी आरोप याचिका के साथ संलग्न था। पैराग्राफ 4(सी) में यह विशेष रूप से बताया गया था कि प्रत्यर्थी एक शराब ठेकेदार था, और चुनाव अवधि के दौरान उसके और उसके सहयोगियों/नौकरों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे, जिनका विवरण याचिका में संलग्न था। दैनिक समाचार पत्र अग्निबाण में दिनांक 5.11.2008 की एक समाचार रिपोर्ट भी संलग्न थी, जिसमें कहा गया था कि अलीराजपुर पुलिस द्वारा 700 पेटी अवैध बीयर जएससीआर की गई थी, और उस मामले में प्रत्यर्थी शामिल था। यह आरोप लगाया गया था कि वह निर्वाचन क्षेत्र में बीयर की बोतलें बांट रहे थे, और यह आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में संभावित है। पैरा 4 (डी) में यह आरोप लगाया गया था कि उनके एजेंट/सहयोगी पाए गए थे निर्वाचन क्षेत्र में उचित अनुमति के बिना बोर-वेल खोदने में शामिल होना, जो भ्रष्ट आचरण और रिश्वतखोरी की श्रेणी में आएगा, और इसी क्रम में टीआई पुलिस स्टेशन द्वारा दिनांक 14.1.2009 को दी गई जानकारी की एक प्रति संलग्न की गई थी। श्री रंजीत कुमार ने बताया कि धारा 83 (1) (बी) के तहत व्यक्ति को यथासंभव भ्रष्ट आचरण

का पैरा विवरण देना होगा, और ऐसा किया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रत्यर्थी की ओर से ज्योति बसु, मंगनी लाल मंडल और अज़है हुसैन (सभी पूर्व) के मामलों में दिए गए निर्णयों के प्रस्तावों का कोई उपयोग नहीं है।

25. प्रत्यर्थी नंबर 1 की ओर से अन्य दलील यह थी कि याचिकाकर्ता को प्रथम दृष्टया यह दिखाना चाहिए कि भ्रष्ट आचरण के कारण उसका चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने केवल एक वोट से चुनाव जीता था, और जाहिर तौर पर इस तरह के भ्रष्ट आचरण से संतुलन किसी न किसी तरफ झुक जाएगा और चुनाव के परिणाम पर असर पड़ेगा।

26. श्री राव का अंतिम निवेदन यह था कि जब भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया जाता है, तो एक हलफनामा निर्धारित प्रपत्र में शपथ लेना होता है, जो कि फॉर्म नंबर 25 है, और पीए मोहम्मद रियास (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 47 पर निर्भरता रखी गई थी, जहां कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि उचित सत्यापन के अभाव में, उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका खारिज करनी होगी। हालाँकि, श्री रंजीत कुमार ने ऊपर उद्धृत पैराग्राफ 47 से बताया कि उस मामले में याचिकाकर्ता के पास दोषों को ठीक करने का अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना, और इससे फर्क पड़ा। उन्होंने

बताया कि इस हलफनामे की अनुपस्थिति को अधिनियम की धारा 86 के तहत चुनाव याचिका को खारिज करने के आधार के रूप में नहीं रखा गया है, और इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में लगातार यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

27. अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री रंजीत कुमार का मुख्य तर्क यह था कि जिस समय आरोप-प्रत्यारोप याचिका को सहमति से बहाल किया गया था, उस समय प्रत्यर्थी को इस न्यायालय को यह इंगित करने से रोका नहीं गया था कि आरोप-प्रत्यारोप याचिका में जो अभिवचन पेश किये गये हैं वे सिी भी तरह से दोषपूर्ण, अनावश्यक या निंदनीय थे। प्रत्यर्थी दोषारोपण याचिका को बहाल करने के लिए सहमत हो गया था, और अब सीपीसी के आदेश 6 नियम 16 के तहत उसी आपत्ति को फिर से उठाने की कोशिश कर रहा है जो निस्संदेह अनुमति योग्य नहीं था जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय केके मोदी बनाम केएन मोदी और अन्य। 1998 (3) एससीसी 573 में प्रदत्त है कि ऐसा करना प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा।

प्रस्तुतियों पर विचार-

28. हमने दोनों वकीलों की दलीलों पर मनन किया। आदेश 7 नियम 11 के तहत न्यायालय के समक्ष आवेदन में न्यायालय को किसी वाद या याचिका में यह देखना होता है कि उसमें कार्यवाही हेतु वाद कारण

है अथवा नहीं। जब एक दफा किसी पक्षकार के द्वारा इस संबंध में किसी याचिका (हस्तगत प्रकरण में आरोप प्रत्यारोप याचिका) सहमति दी जा चुकी है कि उस याचिका को सुना जाना चाहिए तब वह पक्षकार बाद में याचिका के संबंध में जिन अभिवचनों से कार्यवाही हेतु वाद कारण की जानकारी पर्याप्त होती है, को अनावश्यक, निन्दनीय या परेशान करने वाली के आधार पर हटाने हेतु आवेदन नहीं कर सकता है। है पक्षकार से यह अपेक्षित रहता है कि वह प्रकरण के संबंध में समस्त दलीलें न्यायालय के समक्ष एक ही समय मे पेश करें। संबंधित पक्षकार से यह अपेक्षित था कि जिस समय न्यायालय द्वारा सहमति आदेश पारित किया गया उस समय वह याचिका के संबंध में अभिवचनों का अनावश्यक कष्टप्रद या निन्दनीय होना जाहिर करता है या न्यायालय से उसे भविष्य में जाहिर करने की अनुमति लेता। किसी भी न्यायालय से यह अपेक्षित नहीं है कि कोई तथ्य जो की पूर्व में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता था उसे बाद में पक्षकार द्वारा प्रतिरक्षा या हमले के रूप में प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है, विशेषतः तब जबकि उस पक्षकार द्वारा पूर्व में उस तथ्य को पेश करने का अधिकार त्याग दिया गया हो। विद्वान एकल न्यायाधीश को मुकदमों के इस मूल सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिए था। इस संबंध में केके मोदी निर्णय पर अवलम्ब लिया जाना सुसंगत है।

29. इसके अलावा, जब हम आदेश 6 नियम 16 के तहत वर्तमान मामले में उठाई गई आपत्तियों को देखते हैं, तो यह आरपी अधिनियम,

1951 की धारा 83 की आवश्यकता पर आधारित है कि आवेदक को अदालत के समक्ष भौतिक तथ्य रखने की आवश्यकता होती है। अदालत। जहां तक आपैराधिकता के आरोप का सवाल है, हमारे विचार में दोषारोपण याचिका के साथ पर्याप्त भौतिक तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए थे। इसके बाद, तथ्यों को स्वीकार करने के लिए एक नोटिस दिया गया, जिसमें विशिष्ट मामलों का विवरण दिया गया था, जिसमें उन आरोपों के लिए आरोप पत्र दायर किए गए थे, जिनके परिणामस्वरूप आरपी अधिनियम 1951 की धारा 33 ए के अनुसार 2 साल या उससे अधिक की कैद हो सकती थी। प्रत्यर्थी ने इस नोटिस का उत्तर न देने का निर्णय लिया। वास्तव में इस संबंध में विद्वान न्यायाधीश को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे। जहां तक भ्रष्ट आचरण के आधार का सवाल है, जैसा कि ऊपर उद्धृत अभिवचनों से देखा जा सकता है, उस पहलू पर भी भौतिक तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए थे जैसा कि श्री रंजीत कुमार ने सही ढंग से बताया है।

30. पीए मोहम्मद रियास (सुप्रा) के मामले में फैसले के पैराग्राफ 47 में टिप्पणियों के संदर्भ में, हम मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह राठौड़ और अन्य. एआईआर 1964 एससी 1545 में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय को सुसंगत मानते हैं। जहां कि यह कहा गया है कि चुनाव याचिका के मामले में सत्यापन में दोष को सीपीसी के सिद्धांतों के अनुसार हटाया जा सकता है, और यह चुनाव

याचिका के लिए घातक नहीं है। इस निर्णय को इस न्यायालय द्वारा बार-बार संदर्भित और पालन किया गया है। इस प्रकार एचडी रेवन्ना बनाम जी. पुट्टस्वामी गौड़ा और अन्य। 1999 (2) एससीसी 217 में रिपोर्ट किये गये में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 15 में निम्नानुसार देखा हैः-

> "15. मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह राठौड़ मामले में एक संविधान पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अधिनियम की धारा 83(1)(सी) के अनुसार एक चुनाव याचिका के सत्यापन में कोई दोष उसकी पोषणीयता के लिए घातक नहीं होता है। याचिका और हलफनामे में दोष याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होता है। इस संबंध में इस न्यायालय की एक ओर संवैधानिक पीठ ने सीएच सुब्बाराव वी बनाम सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण हैदराबाद में कहा गया कि धारा 81(3) के संबंध में भी, उसकी आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त था और केवल धारा 81(3) के प्रावधानों के पूर्ण गैर-अनुपालन के मामलों में ही यह कहा जा सकता है कि चुनाव याचिका अधिनियम के उस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई थी।ष् इस न्यायालय ने पोन्नला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी और अन्य। 2012 में रिपोर्ट की गई (7) एससीसी 788, मुरारका राधे

श्याम (सुप्रा) में कानून को दोहराया। इस फैसले का पैराग्राफ 26 इस प्रकार है-

"26. हम मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह राठौड़ मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं, जहां इस न्यायालय ने माना था कि एक दोषपूर्ण हलफनामा किसी चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है क्योंकि धारा 83 के प्रावधान हैं। अधिनियम का अनुपालन करना अनिवार्य नहीं है और न ही इसने किसी याचिका को अमान्य कर दिया है क्योंकि एक हलफनामा बाद के चरण में दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। टी. फुंगज़ाथांग बनाम हैंगखानलियन ख्2001 (8) एससीसी 358, में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि धारा 83 का अनुपालन न करना किसी चुनाव याचिका को खारिज करने का आधार नहीं है। धारा 86 और दोष, यदि कोई हो, इलाज योग्य है जैसा कि मनोहै जोशी बनाम नितिन भाऊराव पाटिल ख्1996 (1) एससीसी 169, और एचडी रेवन्ना बनाम जी. पुट्टास्वामी गौड़ा में इस

न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ द्वारा माना गया है। 1999 (2) एससीसी 217।"

31. ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, सीपीसी के आदेश 6 नियम 16 के तहत पहले प्रत्यर्थी के आवेदन को अनुमति देने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर और कानून की दृष्टि से खराब था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश आदेश 6 नियम 16 के तहत आवेदन पर विचार नहीं कर सकते थे जब इस न्यायालय ने शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए सहमति से दोषारोपण याचिका को उस न्यायालय की फ़ाइल में बहाल कर दिया था। विद्वान न्यायाधीश ने यह मानने में गलती की है कि दोषारोपण याचिका के पैराग्राफ 3 और 4 में दलीलें अस्पष्ट, कष्टप्रद, गैर-विशिष्ट और बिना किसी भौतिक तथ्य के थीं। इसलिए अपील स्वीकार की जाती है। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश अब याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई दोषारोपण याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। पक्षकार मुकदमेबाजी का अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सिद्धांत शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।